## फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| आनंदकंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत<br>निवासी पांचलवाडा तहसील बाली वगैरा | | राजस्थान सरकार जरिये<br>(भूमिधारी) तहसीलदार बाली |

**किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/448**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 28/7/025 | प्रार्थीगण आनंद कंवर पत्नी नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी, पांचलवाडा वगैरा द्वारा इनकी धारित भूमि भीटवाडा के खसरा नंबर 205/1 रकबा 2.40 हैक्टर की सेग्रीगेशन के दौरान नक्शे में ऑनलाईन हुई त्रुटि को शुद्ध कर खसरा नंबर 205 की जगह 205/1 प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का भीटवाडा व तहसीलदार बाली की जांच अभिशंषा सहित प्राप्त हुआ। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला बनना जाहिर है। अतः प्रकरण राजस्व विविध में पंजीबद्ध किया जावें।<br><br>पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण ने अपनी धारित खातेदारी भूमि भीटवाडा के खसरा नंबर 205/1 रकबा 2.40 हैक्टर की ऑनलाईन नक्शे में खसरा नंबर 205 की जगह पर अंकन होने से नक्शे में शुद्धि का निवेदन किया है। जिस तथ्य को पटवारी हल्का भीटवाडा व तहसीलदार बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज रकबे तथा मौके पर काबिज अनुसार भीटवाडा के खसरा नंबर 205/1 की जगह 205 एवं 205 की जगह 205/1 दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। जिस अनुशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारित खातेदारी भूमि व सरकारी भूमि खसरा नंबर 205 के रकबे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। मात्र ऑनलाईन नक्शे में जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज तथा मौका स्थिति के अनुरूप नक्शे में इन्द्राज नहीं होने से उक्त दुरस्ती चाही है। जिस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नक्शे में शुद्धि के आदेश दिया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुये ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 205/1 की जगह 205 एवं 205 की जगह 205/1 की नक्शे में दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का भीटवाडा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। उक्त आदेश से खसरा नंबर 205 व 205/1 का मूल रकबा अप्रभावित रहेगा। आदेश की पालना तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का भीटवाडा सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों।<br><br>28/7/025<br>सहायक कलक्टर एवं पदेन<br>उपखण्ड अधिकारी, बाली<br><br>(मुहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)) | |

Scanned with CamScanner